न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 8/2020

ताराचन्द शर्मा निवासी–124ए, महावीर कॉलोनी, टोल–टेक्स टोक रोड सांगानेर जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 27–7–2020**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 18–2–2020 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

आदेश कमांक 391 दिनाक 30–10–2019 की पालना(उपखण्ड अधिकारी उनियारा) में की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रकरण में उक्त आवण्टन का अभी तक गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है, साबिक खसरा नम्बर 420 के हाल खसरा नम्बर 607 है, जिसकी किस्म चरागाह है। चरागाह से आवण्टन आदेश की पालना बाबत (विधि शाखा) कलक्ट्रेट से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही करदी जावेगी। जवाब की प्रति अपीलान्ट को भी पत्र कमांक 1942 दिनांक 22–7–2020 से प्रेषित की गई है। किन्तु इससे पूर्व सूचना नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को प्रेषित नहीं की गई है। अपीलन्ट द्वारा चाही गई सूचना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने वाली सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा व अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner